प्रकरण आज दिनांक 11.05.2024 को नेशनल लोक अदालत में लिया गया

परिवादी द्वारा श्री मुजीब कुरैशी अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त राज स्वयं उपस्थित।

परिवादी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रकरण में वर्णित चेक राशि की तुष्टि कर दी गयी है, दोनो पक्ष के मध्य अब कोई विवाद शेष नही है, इसलिये प्रकरण को पूर्ण संतुष्टि में शमन किया जाये।

अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य राजीनामा न्यायालय के बाहर 1,12,000/—रूपये में राजीनामा हो गया है, जिसकी शर्त अनुसार अभियुक्त दिनांक 16.04.2024 को रूपये 55000/— तथा आगामी लोक अदालत जिस दिनांक को नियत होगी, उस दिनांक को 57000/—रूपये अदा करेगा।

प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त पर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आक्षेप है, जो कि उक्त अधिनियम के अनुसार न्यायालय की अनुमति के बिना शमनीय अपराध है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र विधिपूर्ण है तथा राजीनामा आवेदन की अंतर्वस्तु के अवलोकन से न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त द्व ारा परिवादी को प्रकरण में वर्णित चेक राशि की तुष्टि कर दी गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में श्री दर्शन साख सहकारी संस्था मर्यादित कुक्षी के द्वारा अभियुक्त के साथ धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का शमन करने की अनुमति प्रदान करते हुए अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

प्रकरण का निराकरण लोक अदालत में होने के कारण परिवादी द्वारा प्रदत्त न्यायालय शुल्क विधि अनुसार वापस करने के संबंध में प्रमाण पत्र जारी हो।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ क्रमांकः—37

पीठासीन अधिकारीः— श्री हर्ष राज दुबे .....

सदस्यः—1— श्री आकाश राठौड अधिवक्ता .....